संख्या-78/2026/I/1429601/2026/002-71-2099-263-2021

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
2. निदेशक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
3. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ।
4. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (GIMS), ग्रेटर नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 12-08-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व पक्ष में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में असाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या-345/डा0रा0म0लो0इ0मे0सा0/वित्त एवं लेखा/2026, दिनांक 03 जून 2026, निदेशक कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या-KSSSCI/PED/12/64/2026 दिनांक 09.06.2026, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के पत्र संख्या-पी0जी0आई0/अस्प0 लेखा/असाध्य रोग/272/2026, दिनांक 12.06.2026 एवं निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (GIMS), ग्रेटर नोएडा के पत्र संख्या-जी0आई0एम0एस0/2026/486, दिनांक 25.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व पक्ष में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में असाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित तालिकानुसार धनराशि 754.00 लाख (रुपये सात करोड चौवन लाख मात्र) निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
01	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	454.00
02	कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान	150.00
03	एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ।	100.00
04	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (GIMS), ग्रेटर नोएडा	50.00
	कुल योग-	754.00

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3) संबंधित संस्थान के निदेशक/कुलसचिव/वित्त अधिकारी का दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे।

4) उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु (नियमावली 2013) यथासंशोधित 2021 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5) उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, संस्थान का होगा।

7) धनराशि को कोषागार से संबंधित चिकित्सा संस्थान के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,54,00,000 (रुपये सात करोड़ चौवन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050368 आसाध्य रोगो के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मानक मद 20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-61/दस-2026-27, दिनांक- 06 अगस्त, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-78/2026/।/1429601/2026/002-71-2099-263-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, ग्रेटर नोएडा।
7. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त अधिकारी, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
9. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ।
10. वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (GIMS), ग्रेटर नोएडा।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3।
12. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
13. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
14. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in